राष्ट्रपति के अभिभाषण, 2011 का मसौदा

माननीय सदस्यगण,

नए दशक के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है, यह सत्र पूरी तरह सफल और उपयोगी रहेगा।

माननीय सदस्यगण,

2. बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लद्दाख की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस घटना के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित जान-माल की हानि हुई। मेरी सरकार ने प्रभावित लोगों के तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए कारगर उपाय किए हैं और वह तत्परता के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3. हाल ही में, पंडित भीमसेन जोशी के देहावसान के कारण राष्ट्रीय क्षति हुई है। इससे हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो सूनापन उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई कर पाना कठिन होगा।

माननीय सदस्यगण,

4. पिछले वर्ष अक्तूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णत: सफल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित संख्या में पदक हासिल किए। दिल्ली के नागरिकों ने अनुकरणीय अनुशासन और शिष्टाचार का परिचय दिया। हमें इन उपलब्धियों पर गर्व है।

माननीय सदस्यगण,

5. पिछले वर्ष देश कठिनाइयों से गुजरा है। देश में मुद्रास्फीति एक समस्या बनी रही। हमारे देश के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और

कश्मीर घाटी में भारी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो अस्वीकार्य है। कुछ तबकों की यह शिकायत रही है कि गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को दिया जाने वाला लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है।

6. वर्ष 2011–2012 में मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं इस प्रकार होंगी:

(i) मुद्रास्फीति को रोकना, और विशेष रूप से बढ़ते खाद्य मूल्यों के प्रभाव से आम जनता को राहत पहुँचाना;

(ii) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर निपटाना;

(iii) समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक विकास में उपयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना;

(iv) आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामलों में अचूक सतर्कता बनाए रखना; और

(v) ऐसी विदेश नीति को जारी रखना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व मंच पर हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हित सुरक्षित रहें।

7. प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ सही सिद्ध हुई हैं। बहरहाल, हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखना होगा।

8. मेरी सरकार *आम आदमी* पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को चुनौती देने वाली मुद्रास्फीति से अत्यधिक चिंतित है। मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय उपाय किए हैं। महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। खाद्य तेल और दाल जैसे पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्यों पर दालों की आपूर्ति की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निदेश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सब्जियाँ उपलब्ध करवाने के लिए और अधिक खुदरा बिक्री-केन्द्र स्थापित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूँ के निर्गम मूल्यों में पिछले आठ वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। इन उपायों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अनाज के मूल्य भी अब नियंत्रण में हैं, जबकि पिछले वर्ष यह अत्यधिक चिंता का कारण बना हुआ था। वस्तुत: पिछले नवंबर तक मुद्रास्फीति की दर गिरावट पर थी, किंतु इसके बाद कुछ राज्यों में बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई। नई फसल के आने के बाद मूल्यों में पुन: गिरावट आई है।

9. उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि से ही इस समस्या का दीर्घावधिक समाधान संभव है। मेरी सरकार ने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। पिछले छह वर्षों की अवधि में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। हम किसानों को रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। पोषक-तत्त्व आधारित नई व्यवस्था से उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने हरित क्रांति को पूर्वी भारत तक पहुँचा दिया है। कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधाओं में

रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 से अब तक लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण के उपाय युद्ध स्तर पर किए गए हैं।

माननीय सदस्यगण,

10. मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें अपने उत्पाद बेरोकटोक उपभोक्ताओं को बेचने का सुयोग मिलना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम अधिकांशत: राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस दिशा में निवेश बढ़ाने और राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

11. मैंने खाद्य सुरक्षा कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की थी। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी हक मिल जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है।

माननीय सदस्यगण,

12. हमारी जनता सुशासन की हकदार है; यह उनका प्राप्य है और हमारा दायित्व। मेरी सरकार शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य सभी उपायों पर विचार कर रहा है। यह समूह सार्वजनिक क्रय नीति तैयार करने और सार्वजनिक क्रय मानक निर्धारित करने, मंत्रियों को प्रदत्त विवेकाधिकारों की

समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खुली और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्रारंभ करने, भ्रष्टाचार के आरोपी लोकसेवकों के विरुद्ध तीव्र गति से अभियोजन चलाने और उनके विरुद्ध द्रुत कार्यवाही करने के लिए कानूनों में यथोचित संशोधन करने संबंधी मामलों पर विचार करेगा। उक्त समूह चुनाव पर होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में भी विचार करेगा। मंत्री-समूह की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। विसल ब्लोअर (Whistle Blower) विधेयक संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक कन्वेशन का अनुमोदन करने का भी निर्णय लिया है।

13. वर्षों से चुनाव सुधार के बारे में बहस होती रही है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर ऐसे सुधारों को लागू करने का समर्थन करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संबंधित सहभागियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आशा है कि परामर्श की इस प्रक्रिया से सुधारों की स्वीकार्य कार्यसूची पर आम सहमति बन पाएगी।

14. न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलंब को कम करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। न्याय प्रदान करने एवं विधिक सुधारों के बारे में राष्ट्रीय मिशन संबंधी प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे प्रक्रिया में बदलाव आएगा, इस क्षेत्र में मानव संसाधन बेहतर होंगे और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो पाएगा। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक पहले ही संसद में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक का आशय न्यायपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है ताकि न्यायपालिका की छवि में सुधार हो और उसकी क्षमता में वृद्धि हो सके।

माननीय सदस्यगण,

15. हाल ही में, काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपाकर रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुष्प्रभाव संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर-कानूनी तरीके से कमाया गया हो। मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को गंभीर और निरन्तर प्रयास करने होंगे।

16. मेरी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत बनाने, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक बहु-प्रयोजनीय अध्ययन करवाया गया है। सरकार ऐसे काले धन की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जी-20 के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हवाला कारोबार निरोधक और कर-चोरी निरोधक उपायों के मद्देनजर भारत अब वित्तीय कार्यों संबंधी कार्यबल का सदस्य बन गया है। इसके अलावा भारत यूरो-एशियाई समूह और वित्तीय सुव्यवस्था तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल का भी सदस्य बन गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर संबंधी सूचनाओं के सुचारु और सुलभ आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहाँ भारतीय नागरिकों द्वारा अपना धन छिपाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कर के रूप में 34,601 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली हुई और 48,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का पता चला। मेरी सरकार विदेशों में जमा भारत की धन-संपदा को वापस लाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

माननीय सदस्यगण,

17. विकास के लिए ढाँचागत सुविधाओं का होना महत्त्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने ढाँचागत सुविधाएं बेहतर बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया निवेश दसवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश के दोगुने से भी अधिक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को और दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है।

18. निवेश के लिए इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए निजी भागीदारों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। इस संदर्भ में मेरी सरकार ने एक पारदर्शी सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के लिए वांछित रूपरेखा तैयार की है। पिछले वर्ष ढाँचागत क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी 34 प्रतिशत रही।

19. भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से कनेक्शनों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा वायरलेस नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार मोबाइल और ब्रॉड बैण्ड सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

20. मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों तक निजी एफ एम रेडियो सेवा उपलब्ध करवाई जाए। 283 शहरों में कुल 806 नए एफ एम रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में भावी एफ एम रेडियो को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।

21. निरन्तर तेजी से आगे बढ़ती हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की अहम भूमिका है। हालांकि, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई है, इसके बावजूद बिजली की कमी बरकरार है। मेरी सरकार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वृद्धि करने

के लिए प्रतिबद्ध है। सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों सहित सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना तभी संभव होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र और अधिक सक्षम होगा। अत: विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए, विशेषकर राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

22. मेरी सरकार कोयला क्षेत्र को और अधिक कुशल, उत्पादनकारी, पर्यावरण अनुकूल और उपभोक्तापरक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए कैप्टिव खानों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की खानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

23. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 20,000 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

24. मेरी सरकार का यह मानना है कि देश की खनिज संपदा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका दोहन तीव्र औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने का प्रस्ताव है जो अन्य उपायों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदायों को भी विकास प्रक्रिया का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो।

25. आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने एकीकृत और स्थायी परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति गठित की है।

26. विमान पत्तनों का विकास कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली में एक आधुनिकतम एकीकृत टर्मिनल चालू किया गया। इससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक-

निजी भागीदारी की सहायता से विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं की एक नई शुरुआत हुई है।

27. अक्तूबर, 2010 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नौपरिवहन द्वारा की जाने वाली ढुलाई से प्राप्त होने वाले कर का आँकड़ा एक करोड़ को भी पार कर गया। जनवरी, 2011 में भारतीय पत्तनों की क्षमता एक सौ करोड़ टन प्रतिवर्ष को भी पार कर गई है।

28. भारतीय रेल ने तीव्र विकास, अपने नेटवर्क के द्रुत विस्तार तथा क्षमता में वृद्धि करने और आधुनिकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर पर कार्य शुरू हो गया है।

29. राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 16,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मेरी सरकार ने एक विशेष परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,100 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 4,300 किलोमीटर से भी अधिक लंबे राज्य मार्गों के विकास के लिए एक योजना अनुमोदित की है। अरुणाचल प्रदेश के सड़क तथा राजमार्ग संबंधी पैकेज में लगभग 2,300 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया जाएगा जिसके अंतर्गत जून, 2015 तक अरुणाचलपारीय राजमार्ग के पूरा हो जाने की संभावना है।

30. वैश्विक मंदी के बावजूद भारत भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हजार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

31. मेरी सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे विदेशों में तेल और गैस इक्विटी के लिए जोर-शोर से अवसरों की तलाश करें। देश में मौजूद हाइड्रोकार्बन के भण्डारों

का दोहन करने के लिए अन्वेषण संबंधी नई लाइसेंस नीति का नौवाँ दौर शुरू हो चुका है। शेल गैस की संभावनाओं का पता लगाने और उनका दोहन करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

32. विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि उन्हें उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने में सुविधा हो। ऐसे क्षेत्रों में होने वाले निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई जो 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। दिल्ली–मुंबई औद्योगिक मार्ग (Industrial Corridor) पर कार्य चल रहा है, जिसके चालू होने पर विनिर्माण उद्योग के लिए यह विश्वस्तरीय ढाँचागत सुविधा होगी।

33. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र उत्पादन, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और निर्यात में भागीदारी सुनिश्चित करने के मामले में अपनी गति को बरकरार रखे हुए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी ही नई पहल की जाएंगी।

34. खादी उद्योग क्षेत्र भारी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। खादी और ग्रामीण इकाइयां एक करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। इस संबंध में एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

35. मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास और सशक्तीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। अभी तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख हक–विलेखों का वितरण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति उप–योजना तथा जनजाति उप–योजना संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है ताकि उनके लक्ष्य कारगर ढंग से पूरे किए जा सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिकल्पित कार्यों को अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के सदस्यों की निजी भूमि पर किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया है जिससे अनुसूचित जातियों के 45 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की सहायता के लिए निर्धारित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 38 लाख से भी अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन लाभार्थियों में लगभग आधी संख्या छात्राओं की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

36. वर्ष 2004 में, मेरी सरकार ने भारत निर्माण नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ढाँचागत कमियों को दूर करके गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया। इसका दूसरा चरण वर्ष 2009 में शुरू हुआ।

37. अब तक लगभग 90 हजार गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लगभग 1.40 करोड़ परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों को ब्रॉड बैण्ड सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

38. ऐसी 55 हजार बस्तियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का प्रारंभिक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है जहाँ अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था; अब ऐसी केवल 103 बस्तियाँ ही बची हैं जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। भारत निर्माण के प्रथम चरण में 70 लाख मकान बनाए गए थे। अब, वर्ष 2009-14 के दौरान मेरी सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 120 लाख मकान बनाने का है और इनमें से 45 लाख मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं।

39. मेरी सरकार ने संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और मुझे पूरी आशा है कि लोक सभा द्वारा इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

40. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी विधेयक भी संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार का, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के संबंध में भी एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

41. वृद्धों और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए 'स्वावलंबन' नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है।

42. आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने रवीन्द्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानन्द के 150वें जयंती समारोहों को भव्यता से मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

माननीय सदस्यगण,

43. किसी भी सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के लिए जरूरी है कि उसके नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हों। पिछले सात वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हमारी भावी पीढ़ियाँ स्वस्थ, सुशिक्षित और सक्षम हों ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत विश्व के उन कुछेक देशों में से एक है जहाँ कार्य करने के अधिकार को कानूनी गारंटी दी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में गरीबों के लिए प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उन्हें 100 रुपए प्रतिदिन की दर से 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे जीवन-निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लगभग 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया

गया। पारदर्शिता, सुविधा और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 करोड़ खाते खोले गए हैं।

44. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम मेरी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो अधिकारपरक शासन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उजागर करता है। सर्व शिक्षा अभियान को इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के लिए इसमें दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि अधिक संख्या में बच्चे दाखिला लें और पढ़ाई अधूरी छोड़कर न जाएं।

45. मेरी सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,500 ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में लड़कियों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है ताकि लड़कियों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2012 तक उन 365 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा, जहाँ पर प्रौढ़ महिला साक्षरता दर कम है।

46. एक युवा राष्ट्र होने के नाते हमारा देश लाभप्रद स्थिति में है। यदि हमें अपनी जनसांख्यिकीय संपदा से लाभ उठाना है तो हमें अपने युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संबंधी कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार बड़ी संख्या में मॉड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और कौशल आधारित प्रशिक्षणों को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षु अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए कदम उठा रही है।

47. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी व्यापक जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य संबंधी ढाँचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी तक राज्यों को 53 हजार करोड़ रुपए से

अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी वाले 235 जिलों के स्वास्थ्य उप केन्द्रों में 53,500 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005-06 में लगभग छह लाख थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर एक करोड़ के करीब पहुँच गई। इस योजना से हुए लाभ को शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

48. मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के अधीन तीस वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ से अधिक लोग और सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच हो पाएगी।

माननीय सदस्यगण,

49. सतत् आर्थिक विकास के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सक्षमता का होना अनिवार्य है। तारापुर में दूसरे विद्युत रिएक्टर प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने के परिणामस्वरूप स्वदेशी त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। अंतर-विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों में शिक्षण के लिए वैज्ञानिक तथा नवीन अनुसंधान अकादमी स्थापित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रयासों को तेज करने और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान के संवर्धन और विकास तथा नवीन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद का गठन किया जाएगा। फसलों की उन्नत किस्मों के विकास के लिए फसल आनुवांशिकी संवर्धन नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस सत्र में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। देश में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को अधिसूचित कर दिया गया है।

50. हमारे देश में जल संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में जनता में जागरूकता को बढ़ाने तथा लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग करते हुए सतही जल और भूमिगत जल के लिए एकीकृत नदी घाटी योजना को लागू किया जाएगा।

51. मेरी सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण संबंधी सभी कानूनों को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक विकास की द्रुत गति ने हमारे सामने नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। भारत जैसे विकासशील देश को विकास की जरूरतों और पर्यावरण-अनिवार्यताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित करने के मार्ग अवश्य खोजने होंगे। विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान संबंधी सभी मुद्दों पर विचार के लिए मेरी सरकार ने एक मंत्री-समूह गठित किया है। यह समूह पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल विकास के मानदंडों के साथ समझौता किए बिना सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

52. केन्द्र और राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण के लिए निरन्तर सामूहिक रूप से प्रयास कर रही हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत कई उपाय प्रारंभ किए हैं। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संयुक्त संकाय गंगा नदी के लिए एक घाटी प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है।

53. मेरी सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है।

54. कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है, उन्हें इस कार्य में केन्द्र सरकार सहयोग देती है। आतंकवाद, कट्टरवाद, जातीय हिंसा तथा वामपंथी उग्रवाद लगातार बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव किया है। बहु-एजेंसी केन्द्र

और सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र शुरू किए गए हैं; राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की लगभग सौ नई बटालियनों की स्वीकृति दी गई है और उनमें से कई विगत दो वर्षों में गठित की गई हैं। तटीय सुरक्षा और अधिक बढ़ाई गई है। मेरी सरकार, प्रशिक्षण और ढांचागत सुविधाओं के अंतर को पाटने के लिए राज्यों को अगले पाँच वर्षों के दौरान दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे और वाराणसी की दो आतंकवादी घटनाओं को छोड़कर, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिकांशत: नियंत्रण में है।

55. वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों से भर्ती पर जोर देते हुए पुलिस बलों में की गई बढ़ोत्तरी के परिणाम दिखने लगे हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में नौ राज्यों में से चुने गए 60 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी है जिससे स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

56. जम्मू और कश्मीर के हालात में सुधार आया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा किया। वार्ताकार भी अपने प्रयासों में सफलता के साथ कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समूहों के साथ गहन वार्ता करने के बाद से इन राज्यों में व्याप्त हिंसा में काफी कमी आई है।

माननीय सदस्यगण,

57. इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों का अभिनंदन करती हूँ। मेरी सरकार सदैव सैनिकों और पूर्व-सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी और सशस्त्र बलों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता को कायम रखेगी।

58. मेरी सरकार अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बल बनाने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जो इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हों। रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास, रक्षा उत्पादन

क्षमताओं के विस्तार और रक्षा उत्पादन में निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेशी बहु-उद्देश्यीय हल्के लड़ाकू विमान, तेजस को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

59. मेरी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता भारत के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के अनुकूल वातावरण तैयार करने और उसे बढ़ावा देने की रही है। भारतीय उप महाद्वीप में और हमारे पड़ोसी देशों में शांति के लिए किए जा रहे उद्यम, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग मेरी सरकार का दिग्दर्शन करते रहेंगे। पिछले वर्ष बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत में किए गए उच्चस्तरीय दौरों के परिणामस्वरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छी समझ विकसित हुई है। हम अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसके लिए हम अफगानी लोगों के पुनर्निर्माण कार्यों में अपना सहयोग देते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत के माध्मय से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं बशर्ते पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न होने दे।

60. मेरी सरकार ने खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार किया है। पड़ोसी देश चीन और लाओस तथा कम्बोडिया के मेरे दौरों से भारत के एक ऐसे क्षेत्र के साथ संबंध विकसित हुए हैं, जो हमारे लिए उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हमारे प्रधान मंत्री ने मलेशिया, वियतनाम और जापान का दौरा किया। परिणामत: इन देशों के साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं।

61. हमारे लाखों नागरिक आज खाड़ी तथा पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय जिन देशों में रहते हैं, वहाँ बहुमूल्य योगदान देते हैं और यह हमारे

लिए गर्व की बात है। हम अपने डायस्पोरा के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। भारत के प्रति उनके योगदान की हम सराहना करते हैं और हम उनके साथ संपर्कों को बढ़ाते रहेंगे।

62. अपने विस्तारित पड़ोस के देशों में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित होने में हमारा स्थायी हित निहित है। हाल ही में मिस्र में महत्त्वपूर्ण घटनाएं देखने में आई हैं। एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते हम किसी भी देश में लोकतांत्रिक शुरुआत का स्वागत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा सीरिया की मेरी यात्राओं ने तथा प्रधान मंत्री की सऊदी अरब की ऐतिहासिक यात्रा ने हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

63. मध्य एशिया में अब भारत भी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन परियोजना में एक पक्षकार है। यह परियोजना इस उप-क्षेत्र में ऊर्जा परिदृश्य को परिवर्तित कर सकती है।

64. मेरी सरकार का इसी वर्ष में इथियोपिया में द्वितीय भारत-अफ्रीका फोरम शीर्ष सम्मेलन आयोजित करने का इरादा है। अफ्रीका में भारत द्वारा की गई पहली ऐसी पहल इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत के जनमानस में अफ्रीका का एक विशेष स्थान है।

65. महाशक्तियों के साथ भी हमारे संबंध संतोषजनक रूप से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों—चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका—के नेताओं ने 2010 के दौरान भारत की यात्रा की। मेरी सरकार भारत के हितों के लिए इन संबंधों का भरपूर लाभ उठाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

66. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के प्रभावों के कारण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है। हमने एक खुली और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जी-20, ब्रिक और इब्सा समूहों में अपने

अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ, संरक्षणवादी विचारधारा से बचते हुए काम किया है। उप-राष्ट्रपति ने बेल्जियम में पिछले एशिया-यूरोप (असेम) शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमने वैश्विक नागरिकों के रूप में अपने उत्तरदायित्वों, वैश्विक साम्यता की माँगों और भारत के तीव्र आर्थिक बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में भगा लिया है। इस वर्ष जनवरी से शुरू होने वाली दो-वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में मेरी सरकार शांति, विकास और सुरक्षा के मसलों को बढ़ावा देगी और बहुपक्षीयता के मूल्यों को बरकरार रखेगी।

माननीय सदस्यगण,

67. यह हमारा सौभाग्य है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरदान मिला है। हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने विरासत में हमें ऐसी संस्थाएं, परम्पराएं और प्रथाएं सौंपी हैं जो हमारे लिए हमेशा से ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चाहिए कि हम इन संस्थाओं, परम्पराओं और प्रथाओं को सुदृढ़ बनाकर एक शक्तिशाली, स्वतंत्र, समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। इस प्रयास में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

जय हिन्द।